

भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905

(1905 का अधिनियम संख्यांक 4)¹

[22 मार्च, 1905]

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन कतिपय शक्तियों या कृत्यों को रेल बोर्ड में विनिहित करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत में रेलों के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक रेल बोर्ड का गठन किया गया है और ऐसे बोर्ड में, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के अधीन कतिपय शक्तियों या कृत्यों को विनिहित करने के लिए उपबंध करना समीचीन है ; अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और अर्थान्वयन—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 है ; और

(2) यह भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के साथ पढ़ा जाएगा तथा उसका भाग माना जाएगा ।

2. भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन शक्तियों का रेल बोर्ड में विनिधान—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में ²अधिसूचना द्वारा रेल बोर्ड में, या तो आत्यंतिक रूप से या किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित विनिहित कर सकेगी—

(क) सभी रेलों या उनमें से किसी भी रेल की बाबत भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार की सभी शक्तियां या कृत्य या उनमें से कोई शक्ति या कृत्य, और

(ख) सरकार द्वारा प्रशासित रेलों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट अधिकारी की साधारण नियम बनाने की शक्ति ।

3. रेल बोर्ड द्वारा सूचनाएं संज्ञापित करने की पद्धति—ऐसी किन्हीं शक्तियों या कृत्यों के, जो रेल बोर्ड में धारा 2 के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिहित किए जाएं, प्रयोजनार्थ, या उनके संबंध में, उस बोर्ड की ओर से दी जाने वाली या संज्ञापित की जाने वाली कोई सूचना, अवधारण, निदेश, अध्यपेक्षा, नियुक्ति, राज्य की अभिव्यक्ति, अनुमोदन या मंजूरी उस दशा में पर्याप्त और बाध्यकर होगी जब वह रेल बोर्ड के सचिव द्वारा, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उक्त रेल बोर्ड द्वारा यह प्राधिकार दिया गया हो कि वह ऐसे मामलों की बाबत उसकी ओर से कार्य करे जिनसे उस प्राधिकार का संबंध है, लिखित रूप में हस्ताक्षरित हो ; और उक्त रेल बोर्ड पूर्वोक्त मामलों में से किसी की बाबत किसी भी दशा में तब तक बाध्यकर नहीं होगा जब तक कि पूर्वोक्त रीति से लिखित रूप में हस्ताक्षर न हुए हों ।

4. ³[फेडरल रेल प्राधिकरण के स्थापन पर रेल बोर्ड का समाप्त हो जाना ।]—विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा निरसित ।

¹ इस अधिनियम का विस्तार बरार पर बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा किया गया है और यह संधाल परगना में संधाल परगना व्यवस्थापन विनियम (1872 का 3) की धारा 3 (3) (क) के अधीन अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त हुआ घोषित किया गया है, देखिए, कलकत्ता राजपत्र 1906, भाग 1, पृष्ठ 334 और अंगुल जिले में अंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर, 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर प्रवृत्त घोषित किया गया । 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर संशोधित रूप में लागू किया गया ।

² अधिसूचनाओं के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1905, भाग 1, पृष्ठ 232, 1906, भाग 1, पृष्ठ 927 और 1908, भाग 1, पृष्ठ 169 ।

³ विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा अंतःस्थापित ।